राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राज. जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर–302015
(दूरभाष 0141–2740735,फैक्स 0141–2742309, ई–मेल jdp-ta-rj@nic.in)

क्रमांक :– एफ(10)डीटीए/एपीएआर/विविध/308 दिनांक :– 29-07-2022

परिपत्र

विषय :– राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा संवर्ग के सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I/ग्रेड–II एवं कनिष्ठ लेखाकारों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन राजकाज सॉफ्टवेयर द्वारा ऑन–लाईन भरे जाने बाबत।

प्रसंग :– निदेशालय का परिपत्र क्रमांक 249 दि. 25.04.2022, क्रमांक 272 दि. 18.05.2022

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निदेशालय के प्रासंगिक परिपत्र दिनांक 25.04.2022 एवं 18.05.2022 के द्वारा कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.13(51)कार्मिक/क–1/गो.प्र./2022 दिनांक 30.03.2022 एवं क्रमांक प.13(51)का/क–1/गो.प्र./2022 दिनांक 22.04.2022 के अनुक्रम में अधीनस्थ लेखा सेवा संवर्ग के सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I/ग्रेड–II एवं कनिष्ठ लेखाकारों द्वारा वर्ष 2021–22 से वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन (एपीएआर) राजकाज सॉफ्टवेयर द्वारा ऑन–लाईन भरे जाने एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिवेदन (एपीएआर) में निश्चित समयावधि में टिप्पणी का अंकन नहीं किए जाने की दशा में Auto Forward/Approval प्रणाली लागू होना अवगत करवाया गया था।

कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 29.06.2022 के द्वारा राजकाज एप्लीकेशन के माध्यम से ऑन–लाईन वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2022 तक बढ़ाई गई है।

निदेशालय में अधीनस्थ लेखा संवर्ग के कतिपय कार्मिकों द्वारा वर्ष 2021–22 के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन ऑफ–लाईन प्रेषित किए गए हैं जो कि ऑन–लाईन प्रस्तुत किए जाने थे। अतः निर्देशित किया जाता है कि राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा संवर्ग के कार्मिक जिन्होने वर्ष 2021–22 के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन ऑफ–लाईन भिजवाए हैं वे यह सुनिश्चित करें कि उन्हे कार्मिक विभाग के परिपत्र में दिए गए निर्देशों के अनुसार वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन ऑफ–लाईन भिजवाए जाने हैं। शेष समस्त कार्मिक वर्ष 2021–22 के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन ऑन–लाईन भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

(भूपेश माथुर)
निदेशक

क्रमांक :– एफ(10)डीटीए/एपीएआर/विविध/308 दिनांक :– 29-07-2022

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग।
2. समस्त विभागाध्यक्ष।
3. समस्त कोषाधिकारी।
4. निजी सहायक निदेशक महोदय।
5. एसीपी (कम्प्यूटर अनुभाग) को वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

(धीरज सिसोदिया)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–I/II)